(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खंड- 4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 137 **नई दिल्ली**, 30 अप्रैल, 2010

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत्द्वारा, वर्ष 2007-08 में आयरन ओर कन्सन्ट्रेट और पैलेट्स के पोतलदान हेतु पोतघाट प्रभारों के निर्धारण के लिए न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव को संलग्न आदेश के अनुसार निपटाता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/15/2009-एनएमपीटी

न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास ------- **आवेदक**

आ दे श

(मार्च 2010 के 3 रे दिन पारित)

यह प्रकरण, वर्ष 2007-08 में आयरन ओर कन्सन्ट्रेट और पैलेट्स के पोत लदान हेतु पोतघाट प्रभारों के निर्धारण के लिए न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है ।

2.1 एनएमपीटी ने बताया है कि न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) के जरिए कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (केआईओसीएल) द्वारा निर्यात किए गए आयरन ओर / पैलेट्स के (पोतान्तरण हेतु) पोत घाट प्रभार के दर की गणना, सचिव (भूतल परिवहन मंत्रालय) और सचिव (इस्पात) के बीच 27 मई 1992 को हुई अन्तः सचिवीय बैठक में निर्णित कार्यविधि का अनुपालन करते हुए वास्तविक व्यय के संदर्भ से की जाती है। तद्नुसार, एनएमपीटी से केआईओसीएल के आयरन ओर / पैलेट्स के पोत लदान हेतु पोतघाट शुल्क की दर की गणना के लिए निम्नलिखित अवयव सम्मिलित किए गए हैं :-

(i) यातायात विभाग के प्रचालन व्यय का भाग (शेयर)
(ii) प्रहस्तित यातायात के अनुपात में निकर्षण व्यय
(iii) मूल्य ॉास
(iv) प्रबंधन और प्रशासनिक उपरिव्यय का भाग
(v) पूंजी पर ब्याज
(vi) 6% की दर से पूंजी पर प्रतिलाभ

2.2 एनएमपीटी ने बताया है कि पोत घाट शुल्क दर की गणना करने की कार्यविधि की केआईओसीएल ने जांच-पड़ताल कर ली है और अभिलेखों के सत्यापन के बाद उन्होंने वर्ष 2007-08 के लिए रू .49.70 प्रतिटन की फाइनल दर परिगणित की है। एनएमपीटी ने भी अपनी विवरणी के समर्थन में प्रस्तावित दर की पुष्टि करते हुए केआईओसीएल का पत्र सं.केआईओसीएल / एफएसी / एमआर / 64 दिनांक 6 अप्रैल 2009 अग्रेषित किया है ।

2.3 इस पृष्ठभूमि में एनएमपीटी ने, केआईओसीएल द्वारा वर्ष 2007-08 में निर्यात किए गए आयरन ओर / पैलेट्स के लिए रू . 49.70 प्रतिटन के पोतघाट शुल्क दर के लिए अनुमोदन मांगा है।

3.1 अपने प्रस्ताव के साथ एनएमपीटी द्वारा अग्रेषित अपने पत्र दिनांक 6 अप्रैल 2009 में केआईओसीएल ने, निम्नलिखित दो मुद्दों पर इस प्राधिकरण के निर्णय को लंबित रखते हुए वर्ष 2007-08 के लिए रू .49.70 प्रतिटन की पोतघाट शुल्क दर की पुष्टि की है :-

(i) एनएमपीटी ने रू . 27.57 करोड़ के सरकारी ऋण पर ब्याज दर पोतघाट शुल्क दर की गणना करते समय, 5.5% विचारित की है। इसने निवेदन किया है कि इस अवयव / मद के लिए वास्तव में कुछ खर्च किया है और न ही लेखा में इसके लिए कोई प्रावधान किया है और इसलिए, पोतघाट शुल्क की दर की गणना में इसको शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

(ii) केआईओसीएल द्वारा बर्थ सं. 8 के माध्यम से प्रहस्तित कुल यातायात अर्थात केआईओसीएल द्वारा आयरन ओर पैलेट्स के निर्यात तथा पोतों के माध्यम से वैझाग पत्तन से एनएमपीटी तक एनएमडीसी बैला आयरन ओर फाइन्स की प्राप्ति पर भी विचार करते हुए पोतघाट शुल्क दर की गणना से एनएमपीटी द्वारा असहमति।

3.2 पोतघाट शुल्क दर की गणना में एनएमपीटी द्वारा विचारित ब्याज अवयव से संबंधित मुद्दा, इससे पहले अपने पत्र सं. केआईओसीएल / एफएसी / एमआर / 3376 दिनांक 11 मार्च 2008 द्वारा केआईओसीएल द्वारा उठाया गया था। केआईओसीएल द्वारा उठाए गए मुद्दे एनएमपीटी को समाधान के लिए अग्रेषित किए गए थे।

4.1 निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार प्रस्ताव की एक प्रति टिप्पणी के लिए एक मात्र उपयोग कर्त्ता केआईओसीएल को अग्रेषित की गई थी। प्रत्युत्तर में केआईओसीएल ने दिनांक 7 मई 2009 के अपने पत्र द्वारा अनुरोध किया है कि उसके पिछले पत्र दिनांक 22 अप्रैल 2009 द्वारा अग्रेषित टिप्पणियों पर विचार करे। न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास ने दिनांक 9 अक्तूबर 2009 के अपने पत्र द्वारा, केआईओसीएल द्वारा उठाए गए मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं।

4.2 केआईओसीएल द्वारा मार्च 2008 से पत्राचार की श्रृंखला के माध्यम से पोतघाट शुल्क गणनाओं पर उठायी गई मुख्य आपत्तियां और एनएमपीटी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संक्षेप में नीचे दिए गए हैं :-

क्रम सं.	केआईओसीएल द्वारा उठाए गए प्रश्न	एनएमपीटी से प्राप्त उत्तर
1.	ब्याज अवयव को शामिल न करना	
	(क) कुद्रेमुख सुविधाओं के लिए भारत सरकार द्वारा एनएमपीटी को भारत सरकार द्वारा रू. 27.57 करोड़ का ऋण दिया गया था। एनएमपीटी पोतघाट शुल्क दर की गणना के लिए 5.5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भी उसमें शामिल कर रहा है।	एकाधिकार वाले पोतघाट का निर्माण इसकी संरचना से पहले, केंद्र सरकार द्वारा जारी निधि से किया गया था।
	(ख) एनएमपीटी न तो सरकार को कोई ब्याज दे रही है और न ही उसने भुगतान के लिए खातों में कोई प्रावधान ही किया है।	(ख) इसके साथ-साथ, पत्तन और केआईओसीएल के बीच निष्पादित समझौता ज्ञापन के अनुसार नियोजित पूंजी पर ब्याज, पोतघाट शुल्क दर की गणना के विचार किया जाएगा।
	(ग) पत्तन द्वारा पोतघाट शुल्क दर की गणना के लिए यह सोचते हुए कि सैद्धांतिक ब्याज न्यायोचित नहीं है और 27 मई 1992 को आयोजित अन्तः सचिवीय बैठक के कार्यवृत के खिलाफ है पूंजी पर ब्याज के सिवाय, सभी अवयवों पर वहन किए गए वास्तविक व्यय पर विचार किया गया है।	(ग) केवल केआईओसीएल सुविधाओं के लिए भारत सरकार द्वारा एनएमपीटी को प्रदत्त रू. 27.57 करोड़ की पूंजी पर 5.5% वार्षिक का ब्याज गणना के लिए सैद्धान्तिक आधार पर ब्याज की न्यूनतम दर पर शामिल किया गया है क्योंकि सरकार के साथ ऋण / ब्याज का खाता पूरी तरह बंद नहीं किया गया है।
	(घ) इसलिए, इसने इस मामले में सरकार के	(घ) ब्याज की कथित दर इस समझदारी के साथ

	निर्णय को लंबित रखते हुए वर्ष 2007-08 से आगे पोतघाट शुल्क दर की गणना के लिए पूंजी पर सैद्धान्तिक ब्याज को शामिल न करने का अनुरोध किया।	अपनायी गई थी कि भारत सरकार पहले से वसूली गई दर से ऊंची दर पर ब्याज न वसूल करे।
	(ङ) इसने निवेदन किया है कि केआईओसीएल की धनवापसी के लिए अनुरोध पत्तन द्वारा ठुकरा दिया गया है। चूंकि सरकारी प्राधिकारी धनवापसी करवाने के लिए आग्रह कर रहे हैं, केआईओसीएल ने प्राधिकरण के दखल की मांग की है।	(ङ) यह भी निवेदन किया गया है कि केआईओसीएल द्वारा देय फाइनल पोतघाट शुल्क प्रभार, 27 मई 1992 के तत्कालीन सचिव (भू.परि.) की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के कार्यवृत में प्रकाशित मार्गदर्शियों के अनुसार सभी तत्वों पर विचार करते हुए परिगणित किया गया है।
2.	बर्थ सं.8 पर प्रहस्तित कुल यातायात पर विचार करें।	
	केआईओसीएल द्वारा बर्थ सं. 8 के माध्यम से प्रहस्तित कुल यातायात अर्थात केआईओसीएल द्वारा आयरन ओर पैलेट्स के निर्यात तथा पोतों के माध्यम से वैझाग पत्तन से प्राप्ति और बर्थ सं.8 से प्रस्थान पर विचार करते हुए पोत घाट शुल्क दर की गणना की जानी चाहिए।	केआईओसीएल के अनुरोध पर विचार किया गया है और आयात कार्गो अर्थात वैझाग पत्तन से एनएमडीसी बैला आयरन ओर फाइन्स के आयात पर वर्ष 2008-09 के लिए पोत घाट शुल्क प्रभार की गणना करते हुए विचार किया गया है और इस का भविष्य में भी अनुपालन किया जाएगा।

5. तदनन्तर, केआईओसीएल ने दिनांक 31 अक्तूबर 2009 के अपने पत्र द्वारा अपने पिछले निवेदनों के समाधान के लिए आग्रह किया। इसने यह भी बताया है कि सरकारी लेखा परीक्षकों ने लेखा परीक्षा के दौरान यह कहते हुए लेखा परीक्षा प्रेक्षा जारी की है कि वर्ष 2006-07 और 2007-08 में प्रहस्तित कार्गो में आयरन ओर फाइन्स को न गिनने से पोतघाट प्रभार पर रू. 218.34 लाख तक का अतिरिक्त व्यय जुड़ गया है। इसको ध्यान में रखते हुए लेखा परीक्षकों ने केआईओसीएल को यह राशि एनएमपीटी से वापिस लेने की सलाह दे डाली है।

6.1 इस प्रकरण में 17 दिसंबर 2009 को एक संयुक्त सुनवाई आयोजित की गई थी। संयुक्त सुनवाई में केआईओसीएल और एनएमपीटी ने अपने-अपने पक्ष निम्नानुसार रखे :-

<u>केआईओसीएल</u>

(i) बर्थ सं.8 पर प्रहस्तित समस्त यातायात की गणना होनी चाहिए।

(ii) प्रि-फोर्मेशन लोन पर ब्याज की गिनती नहीं होनी चाहिए।

<u>एनएमपीटी</u>

(i) हम विशेष रूप से लेखा में प्रावधान करते हैं या नहीं, ऋण (लोन) का प्रभाव पूंजी आरक्षितियों (कैपिटल रिज़र्व्स) में दर्शाया गया है।

(ii) सरकार ने प्रि-फोर्मेशन लोन को रफा-दफा नहीं किया है। यह अभी भी विचाराधीन है।

6.2 तदनन्तर, केआईओसीएल ने 19 दिसंबर 2009 के अपने पत्र के माध्यम से आयरन ओर पैलेट्स के निर्यात के साथ बर्थ सं.8 जरिए भेजे गए आयरन ओर फाइन्स की प्राप्ति को वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लिए पोत घाट शुल्क की गणना हेतु गिनने और सैद्धान्तिक ब्याज अवयव को न गिनने का आग्रह करते हुए अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया।

7. इस प्रकरण पर कार्यवाही करने के दौरान संग्रहित सूचना की समग्रता के संदर्भ से निम्नलिखित स्थिति उभरती है :-

(i) न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) का प्रस्ताव वर्ष 2007-08 में बर्थ सं. 8 के जरिए कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (केआईओसीएल) द्वारा निर्यात किए गए लौह अयस्क (आयरन ओर) पर पोतघाट शुल्क दर के निर्धारण के लिए है। जैसा कि पहले वर्णन किया गया है, बर्थ सं.8 के जरिए केआईओसीएल द्वारा निर्यात किए गए लौह अयस्क के पोतघाट शुल्क दर का निर्धारण तत्कालीन भूतल परिवन मंत्रालय द्वारा 27 मई 1992 को आयोजित अन्तःसचिवीय बैठक में निर्णित कार्यविधि के आधार पर किया गया है। केआईओसीएल द्वारा पिछले वर्षों में प्रहस्तित आयरन ओर पर पोतघाट शुल्क दर भी केआईओसीएल द्वारा सहमत दर के आधार पर उसी कार्यविधि का अनुसरण करके निर्धारित किया गया है।

(ii) पत्तन ने सूचित किया है कि 2007-08 के वास्तविक के आधार पर पोतघाट दर की गणना की केआईओसीएल द्वारा जाँच कर ली गई है और रिकार्ड्स के सत्यापन के बाद उन्होंने वर्ष 2007-08 के लिए रू. 49.70 प्रतिटन फाइनल दर परिगणित की गई है। केआईओसीएल ने कथित रू प से इस प्रकार के ब्यौरों का सत्यापन कर दिया है और दो मुद्दों के अधीन, जिन पर आगामी पैराग्राफों में विचार विमर्श किया गया है, इन गणनाओं की पुष्टि कर दी है। एनएमपीटी द्वारा अपने प्रस्ताव में, दिए गए आंकड़ों पर भरोसा किया गया है। इस प्राधिकरण के समक्ष मुद्दा सीमित है - समाधान के लिए संदर्भित दो बिन्दुओं पर निर्णय लेना और इन मुद्दों पर निर्णय के आधार पर इनसे संबंधित एनएमपीटी की प्रस्तावित गणना में प्रदत्त आंकड़ों में परिवर्तन करना।

(iii) इस प्रकरण में सम्मिलित विवादित मुद्दे हैं :-

(क) बर्थ सं. 8 के जरिए केआईओसीएल द्वारा प्रहस्तित कुल यातायात अर्थात आयरन ओर पैलेट्स के निर्यात तथा वैझाग पत्तन से एनएमपीटी को आयरन ओर फाइन्स की प्राप्ति और उनके बर्थ सं. 8 से प्रस्थान पर विचार करना या यातायात के आंकड़ों को केवल केआईओसीएल के आयरन ओर पैलेट्स के निर्यात तक सीमित रखना।

(ख) पोतघाट शुल्क दर की गणना में रू. 27.57 करोड़ के ऋण पर ब्याज अवयव को शामिल करना अथवा न करना।

(iv) (iii)(क) में उठाए गए बिंदु के संदर्भ से यह बताया जाता है कि क्योंकि पोतघाट शुल्क दर की गणना के लिए बर्थ के प्रचालन के लिए सभी संबंधित लागतों पर विचार किया जाता है, केआईओसीएल द्वारा प्रहस्तित कुल यातायात को गिनने के लिए इसके द्वारा किया गया दावा, अर्थात पोतघाट शुल्क दर की गणना में बर्थसं.8 पर आयरन ओर / पैलेट्स के निर्यात / प्राप्ति को गिनने की केआईओसीएल की मांग बहुत तार्किक है और विचारणीय है। एनएमपीटी ने दिनांक 9 अक्तूबर 2009 के अपने पत्र में सैद्धान्तिक रू प से, पोतघाट शुल्क दर की गणना में केआईओसीएल द्वारा आयरन ओर फाइन्स की प्राप्ति पर विचार करना सैद्धान्तिक रू प से स्वीकार किया है। वर्ष 2007-08 के लिए पोत घाट शुल्क दर की गणना में इस परिवर्तन को लागू नहीं किया है। किन्तु पत्तन ने बाद के वर्ष अर्थात 2008-09 के लिए पोतघाट शुल्क दर की गणना करते हुए, केआईओसीएल द्वारा दिए गए सुझाव पर विचार करना स्वीकार किया है।

केआईओसीएल द्वारा उठाए गए बिन्दु से सहमत होने के बाद कोई कारण नहीं है कि वर्ष 2007-08 के लिए पोतघाट शुल्क की दर निर्धारित करने में केआईओसीएल द्वारा प्रहस्तित कुल

यातायात पर विचार न किया जाए। केआईओसीएल ने सूचित किया था कि वर्ष 2007-08 में बर्थ सं. 8 पर 528521 टन आयरन ओर (लौह अयस्क) प्राप्त किया गया था। दिनांक 22 अप्रैल 2009 के पत्र द्वारा प्रदत्त अपनी गणनाओं में केआईओसीएल द्वारा विचारित 2498468 टन के कुल यातायात के आंकड़ें पर भी एनएमपीटी ने कोई विवाद नहीं खड़ा किया है। एनएमपीटी द्वारा परिगणित पोतघाट शुल्क दर को वर्ष 2007-08 में बर्थ सं. 8 पर प्रहस्तित 2498468 टन के कुल यातायात पर विचार करते हुए तदनुसार संशोधित किया जाता है।

(v) यातायात के आंकड़ों में परिवर्तन के परिणामस्वरु प, यातायात के भाग पर आधारित केआईओसीएल को आबंटित (राजस्व) निकर्षण लागत भी परिवर्तित हो जाती है। पत्तन द्वारा सूचित कुल (राजस्व) निकर्षण (ड्रैजिंग) लागत वर्ष 2007-08 के लिए रू. 2563.54 लाख है जिसमें से रू. 177.82 लाख, एनएमपीटी द्वारा विचारित रू. 140.20 लाख की तुलना में यातायात के संशोधित भाग पर केआईओसीएल गतिविधि को आबंटित किया जा सकता है। संयोगवश, संशोधित आंकड़ा केआईओसीएल द्वारा दिनांक 22 अप्रैल 2009 के अपने पत्र के माध्यम से विचारित निकर्षण लागत के भाग से मेल खाता है।

(vi) ऊपर बिन्दु (iii) (ख) के संबंध में पोतघाट शुल्क दर की गणना में विचारित ब्याज-अवयव को शामिल किए जाने पर केआईओसीएल ने यह कहते हुए आपत्ति व्यक्त की है कि न तो पत्तन कोई ब्याज का भुगतान करता है और न ही इसने वार्षिक लेखा में (इस मद में) कोई प्रावधान ही किया है।

यहां यह बताना उचित होगा कि 2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों से पहले प्रतिलाभ, नियोजित पूंजी पर, जिसका निर्धारण भारत सरकार क ऋण के साथ पत्तन द्वारा दो अनिवार्य आरक्षितियों, विकास एवं नवीकरण निधि की मद में पत्तन द्वारा 6% के अंशदान के आधार पर किया जाता था, अनुमत किया जाता था। 2005 के प्रशुल्क र्मादर्शियों में प्रतिलाभ उस नियोजित पूंजी पर अनुमत किया जाता है जिसका निर्धारण सीएपीएम विधि के आधार पर किया जाता है। इस समय ग्राह्य प्रतिलाभ 16% है। इस प्राधिकरण का निधियों के स्त्रोत से कोई सारोकार नहीं है फिर चाहे वह ऋण हो या पत्तन को अपनी स्वयं की निधि। वर्तमान प्रकरण में, फिर भी, पोतघाट शुल्क दर, 27 मर्द 1992 को अंतः सचिवीय स्तर पर आयोजित बैठक में सहमत कार्यविधि का अनुसरण करते हुए निर्धारित की जानी है। प्रदत्त सूत्र / फार्मूला पूंजी पर ब्याज को स्वीकार / मान्य करता है। सूत्र में 6% पर प्रदत्त प्रतिलाभ विकास और नवीकरण निधियों में 3% प्रत्येक की दो सांविधिक आरक्षितियों के संदर्भ से है। यह नोट करने योग्य है कि पोतघाट शुल्क तय करने के लिए सहमत / स्वीकृत सूत्र पत्तन की कुछ साझा परिसंपत्तियों की मद में, जिनके लाभार्थियों में केआईओसीएल भी एक हो सकता है, केआईओसीएल प्रचालन द्वारा किए जाने वाले अंशदान के लिए कोई प्रावधान नहीं करता है।

उपर्युक्त बातों के होते हुए, प्रासंगिक बिन्दु यह है कि 1992 में आयोजित अन्तः सचिवीय बैठक में प्रदत्त फार्मूला (संबंद्ध) पक्षों के बीच सहमत फार्मूला है और सहमत फार्मूजा पर आधारित पोतघाट शुल्क दर इस प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1995-96 से 2006-07 तक अनुमोदित की गई है। केआईओसीएल ने यह भी स्वीकार किया है कि एकनिष्ठ पोतघाट का निर्माण, पत्तन न्यास के गठन से पहले सरकार द्वारा प्रदत्त निधि से किया गया था। सरकार से प्राप्त किया गया ऋण पत्तन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार लेखा बहियों में पूंजी आरक्षितियों के अन्तर्गत हस्तगत

किया गया है। न्यास के गठन से पहले का यह ऋण सरकार द्वारा अभी तक रफा-दफा नहीं किया गया है।

पत्तन द्वारा ठीक ही बताया गया है कि ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज पत्तन द्वारा देय है यह नोट किया जाए कि ऋण वापसी और उस पर ब्याज ऋण दाता अर्थात इस मामले में सरकार और एनएमपीटी का सारोकार है। केआईओसीएल के लिए यह जरू री नहीं है कि वह अपने मामले पर तर्क देने के लिए / बहस करने के लिए किसी अनावश्यक विषय पर ज़ोर न दे। यहां प्रासंगिक मुद्दा है कि क्या केआईओसीएल द्वारा उपयोग की गई सुविधा के लिए नियोजित पूंजी में संदर्भित ऋण लागू किया गया है। इसलिए, ऐसे ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज का दावा करने के लिए पत्तन पात्र है। यदि सरकार कथित ऋण को रफा-दफा करने का निर्णय लेती है तो उसका प्रभाव प्रशुल्क गणना में तदनुसार ग्रहण किया जाएगा।

(vii) एनएमपीटी द्वारा परिगणित पोतघाट शुल्क दर को उपरोक्त विश्लेषण के अधीन, संशोधित किया जाता है। संशोधित गणना के अनुसार पोतघाट शुल्क दर, पत्तन द्वारा प्रस्तावित रू. 49.70 प्रतिटन की तुलना में रू. 40.69 प्रतिटन परिगणित होती है। लागत विवरणी की एक प्रति संलग्नक के रू प में संलग्न है।

(viii) संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शियों के अनुसार इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले प्रशुल्क का प्रभाव, विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत इसके प्रभाव के सिवाय, सामान्य रू प से आगामी समय से होगा तात्कालिक प्रकरण बीते समय से अनुमोदन के लिए है क्योंकि प्रस्ताव 2007-08 में व्यय के वास्तविक भाग और उसी वर्ष में प्रहस्तित यातायात पर विचार करते हुए पोतघाट शुल्क दर निर्धारित करने के लिए है। इन मदों में पिछले प्रभाव से अनुमोदन की यह कार्यविधि 10 वर्षों से भी अधिक समय से प्रचलित रही है और इसीलिए, अनुमोदित की जाती है।

8. परिणाम स्वरू प, और ऊपर दिए गए कारणों से तथा समग्र विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण, केआईओसीएल द्वारा वर्ष 2007-08 में प्रहस्तित लौह अयस्क और गुटिकाओं के संबंध में रू. 40.69 प्रति मी.टन की पोतघाट शुल्क दर अनुमोदित करता है।

(रानी जाधव)

अध्यक्ष

संलग्नक

केआईओसीएल सुविधाओं के लिए वर्ष 2007-08 हेतु पोतघाट शुल्क दर की गणना के लिए लागत विवरणी (रू .में)			
क्र.सं.	विवरण	एनएमपीटी द्वारा विचारित लागत	प्राधिकरण द्वारा विचारित लागत
I	**प्रचालन लागत**		
(i)	यातायात विभाग के वेतन-केआईओसीएल के नामे डाले गए	3022682	3022682
(ii)	राजस्व का भाग निकर्षण यातायात अनुपात	14020390	17781949
(iii)	मूल्य ाेस	4468405	4468405
iv)	प्रबंधन व्यय का भाग- पोतघाट लंबाई अनुपात	36839792	36839792
II	ब्याज (क) वास्तव में भुगतान किया	214467	214467
	(ख) 1.4.1980 को शेष पर 5.5% की दर से	15164000	15164000
III	रू . 40.30 करोड़ पर 6% की दर से प्रतिलाभ	24180000	24180000
IV	**कुल व्यय + प्रतिलाभ**	**97909736**	**101671294.6**
V	**प्रहस्तित यातायात - मीट्रिक टन में**		
	(क) आयरन ओर पैलेट्स का निर्यात मी.ट. में	1969947	1969947
	(ख) एनएमडीसी आयरन ओर फाइन्स की प्राप्ति मी.ट. में	0	528521
	कुल प्रहस्तित मात्रा	**1969947**	**2498468**
VI	**पोतघाट शुल्क दर प्रतिमीटरिक टन (रू पयों में)**	**49.70**	**40.69**